

THE REPATRIATION OF PRISONERS RULES, 2004]¹

Contents

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Short title and commencement | 5. Form of warrants |
| 2. Definitions | Form-1 |
| 3. Form of application | Form-2 |
| 4. Means of forwarding the application | Form-3 |

THE REPATRIATION OF PRISONERS RULES, 2004

In exercise of powers conferred by section 14 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called *the Repatriation of Prisoners Rules, 2004*.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

- "Act" means the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003);
- "application" means an application made under section 4 of the Act;
- "diplomatic channel" means through the missions of the respective countries;
- "section" means a section of the Act;
- all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Form of application.— An application under section 4 of the Act shall be made by a prisoner for his transfer on a plain paper and in Form I appended to these rules and in accordance with the procedure and instructions set out in that form.

4. Means of forwarding the application.— The application of the prisoner along with other information as required under sub-section (1) of section 6, shall be forwarded by the Central Government to the Government of the contracting State either directly or through the diplomatic channel.

1. Vide G.S.R. 93(E), dated 9.8.2004 (Pub. by Gaz. of India, Ex.-ord, Pt.-II, Sec. 3(i), dated 9.8.2004).

बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) नियम, 2004]¹

विषय-सूची

- | | |
|---|----------------------|
| 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ | 5. वारंटों का प्ररूप |
| 2. परिभाषाएँ | प्ररूप-1 |
| 3. प्रार्थना पत्र का प्ररूप | प्ररूप-2 |
| 4. प्रार्थना पत्र अग्रेषित करने के साधन | प्ररूप-3 |

बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) नियम, 2004

बंदियों के संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (49 आफ 2003) की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम बंदियों का संप्रत्यावर्तन नियम, 2004 कहलायेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- अधिनियम से तात्पर्य है बंदियों का संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (49 आफ 2003);
- प्रार्थना पत्र से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 4 के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र;
- राजनयिक प्रणाली से तात्पर्य है सम्बन्धित देशों के मिशनो के माध्यम से ;
- धारा से तात्पर्य है अधिनियम की कोई धारा;
- इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं की गई हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित की गई हैं के वही अर्थ होंगे जो उनको उस अधिनियम में दिये गये हैं।

3. प्रार्थना पत्र का प्ररूप.— बंदी द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत उसके स्थानांतरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र साधारण कागज पर इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 1 में तथा उस प्ररूप में वर्णित प्रक्रिया एवं अनुदेशों के अनुसरण में दिया जायेगा।

4. प्रार्थना पत्र अग्रेषित करने के साधन.— धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अन्य सूचनाओं के साथ, बंदी का प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा संविदा राज्य की सरकार को सीधे ही या राजनयिक प्रणाली के माध्यम से अग्रेषित किया जायेगा।

1. विज्ञप्ति सं. जी.एस.आर. 93(ई) दिनांक 9.8.2004 (भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड (iii) दिनांक 9.8.2004 में प्रकाशित) द्वारा।

5. Form of warrants.— (1) A warrant under sub-section (1) of section 7 of the Act shall be issued in Form 2 appended to these rules and in accordance with the procedure and instruction set out in that form.

(2) A warrant under sub-section (2) of section 12 of the Act shall be issued in Form 3 appended to these rules and in accordance with the procedure and instructions set out in that form.

FORM-1

APPLICATION FOR TRANSFER OF SENTENCED PERSON

(Under rule 3)

(Particulars are to be furnished in respect of the sentenced person)

To,

Joint Secretary (CS)
Government of India
Ministry of Home Affairs
New Delhi.

Sir,

I request that I may be transferred to serve remaining period of my sentence in a prison situated in..... the country of my nationality (Name of the contracting State). I hereby furnish the following information for consideration of my application:—

1. Name in block letters and nationality
2. Name of father/husband
3. Full address in the contracting State
4. Date of birth/age
5. Offence(s) under which convicted
6. Name of the Court which convicted
7. Date of judgment
8. The nature, duration and date of commencement of the sentence
9. Name of the prison, where undergoing sentence.

I, (Name in full along with nationality and in block letters), son/daughter of Mr./Ms..... declare that the information furnished by me as above is correct, complete and true to the best of my knowledge and belief. I may be held liable for any action if any information furnished by me is found incorrect.

Address

(In case signatory is other than the prisoner)

(Signature of the applicant or of the person entitled to act on behalf of the prisoner in case of his ill health, mental condition, old age or being minor)

5. वारंटों का प्ररूप— (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन वारंट, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 2 में एवं उस प्ररूप में दी गई प्रक्रिया और निर्देशों के अनुसरण में जारी किया जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वारंट, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 3 में एवं उस प्ररूप में दी गई प्रक्रिया और निर्देशों के अनुसरण में जारी किया जायेगा।

प्ररूप-1

दण्डादिष्ट (सजा प्राप्त) व्यक्ति के स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र
(नियम 3 के अधीन)

[दण्डादिष्ट (सजा प्राप्त व्यक्ति के सम्बन्ध में) विवरण दिये जाने है]

सेवामें,

संयुक्त सचिव (सी. एस.),
भारत सरकार,
गृह मामलात मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई-दिल्ली

मान्यवर,

मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी सजा की शेष अवधि काटने के लिये मुझे मेरी राष्ट्रीयता के देश (संविदा राज्य का नाम) में स्थित जेल में स्थानांतरित कर दिया जावे। मेरे प्रार्थना पत्र पर विचार करने हेतु मैं निम्न सूचना एतद्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं—

1. बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में नाम एवं राष्ट्रीयता
2. पिता/पति का नाम
3. संविदा राज्य में पूर्ण पता
4. जन्म तिथि/उम्र
5. अपराध (अपराधों) जिनके अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया
6. न्यायालय का नाम जिसने दोषसिद्ध किया
7. निर्णय की तिथि
8. सजा प्रारंभ होने की तिथि, प्रकृति एवं अवधि
9. कारागार का नाम जहां सजा काट रहा है।

मैं (पूरा नाम बड़े अक्षरों में एवं राष्ट्रीयता), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती..... घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उक्त सूचना सही है, पूर्ण एवं मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना अशुद्ध पाई जाती है तो मुझे किसी भी कार्यवाही के लिये उत्तरदायी माना जावे।

पता

(हस्ताक्षरकर्ता, बंदी के अलावा अन्य हो)

(प्रार्थी के हस्ताक्षर या उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जो बंदी के खराब स्वास्थ्य, मानसिक दशा, वृद्धावस्था या अवयस्क होने पर उसकी ओर से कार्य करने हेतु हकदार है।)

INSTRUCTIONS

1. The application in original should be sent to Joint Secretary (CS), Government of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi by ordinary/registered post.
2. A copy of the application may be delivered to the officer-in-charge of the jail where the prisoner is undergoing the sentence.
3. Following documents may be attached with the application—
 - (a) A copy of the judgment passed against the prisoner.
 - (b) Document indicating that the prisoner is a citizen of the contracting State.
4. In case the application is being made by the person entitled to act on behalf of the prisoner, he/she should write his/her full name along with nationality and address below his/her signature.

FORM-2

FORM OF WARRANT

(Under rule 5[1])

(under sub-section (1) of section 7 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003)

Mr./Ms. the Jail Superintendent/Jailor (or the officer's designation who is incharge of the prison where the prisoner is imprisoned) (Name of the Jail with full address) is hereby directed to deliver the custody of Mr./Ms. (Name and nationality of Prisoner), son/wife/daughter of..... age.... address..... (as it appears in the prison record) who was convicted of offences under section(s)..... of (Name of the legislation under which sentenced) to Mr/Ms [Name and designation of the authorised person (official) of the contracting State]..... at..... [Place of delivery of prisoner in India i.e. Embassy, Air Port etc.) on..... (Date of delivery) as requested by the Government of in terms of Agreement/Arrangement between the Government of the Republic of India and the Government of..... on transfer of convicted offenders entered into by India with..... (Name of the contracting State) which came into force on.....

2. Mr/Ms. (Name of the prisoner) as mentioned hereinabove, would undergo the remaining part of the sentence in contracting State, which he/she would have undergone in India, had he/she not been transferred out of India.

3. In case the prisoner escapes from the custody within India, the prisoner may be arrested without warrant by any person who shall without undue delay deliver such prisoner to the nearest police station and the

निदेश

1. मूल प्रार्थना पत्र संयुक्त सचिव (सी.एस.), भारत सरकार गृह मामलात मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को साधारण/रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना चाहिये।
2. प्रार्थना पत्र की एक प्रति उस जेल के प्रभारी अधिकारी जहां बंदी सजा काट रहा है, को भी दी जा सकती है।
3. प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जा सकते हैं—
 - (क) बंदी के खिलाफ पारित निर्णय की प्रतिलिपि;
 - (ख) यह दर्शाने वाला दस्तावेज कि बंदी संविदा राज्य का एक नागरिक है।
4. ऐसे मामले में जहां प्रार्थना पत्र बंदी की ओर से कार्य करने को हकदार व्यक्ति बनाया जा रहा है, तो उसे अपना पूरा नाम, मय राष्ट्रीयता एवं पता उसके हस्ताक्षरों के नीचे लिखना चाहिये।

प्ररूप-2

वारंट का प्ररूप

(देखे नियम 5(1))

[बंदियों के संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

श्री/श्रीमती जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट/जेलर (अथवा जहां बंदी कारावास में रखा जाता है उस कारागार के प्रभारी अधिकारी का पद) (जेल का नाम उसके पूर्ण पते सहित) को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (बंदी का नाम व उसकी राष्ट्रीयता) पुत्र/पत्नी/पुत्री उम्र पता (जैसा कि यह कारागार के अभिलेख में है), जिसे (विधान का नाम) जिसके अधीन सजा दी गई) की धारा (धाराओं) के अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया गया था, को श्री/श्रीमती (संविदा राज्य के प्राधिकृत व्यक्ति) (पदाधारी का नाम एवं पदनाम) को (भारत में बंदी को सौंपने के स्थान यथा राजदूतावास हवाई अड्डा आदि) पर (सौंपने की दिनांक) सौंपे जैसा कि देश की सरकार ने भारत संघ की सरकार एवं देश की सरकार से हुये इकरार/व्यवस्था के अन्तर्गत प्रार्थना की है और यह इकरार/व्यवस्था भारत सरकार तथा देश की सरकार (संविदा सरकार का नाम) के मध्य भारत में प्रविष्ट दोषसिद्ध अपराधियों के स्थानांतरण हेतु दिनांक को प्रभावशील हुआ है।

2. श्री/श्रीमती (बंदी का नाम); जो एतद्द्वारा उपरोक्तानुसार वर्णित है, अपनी शेष अवधि की सजा संविदा सरकार में उसी प्रकार काटेगा जैसा कि यदि उसे भारत के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाता तो वह भारत में काटता।

3. बंदी यदि भारत में सुरक्षा से बच कर निकल भागता है तो इस दशा में उसे बिना वारंट के किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है जो ऐसे बंदी को बिना देरी किये निकटतम पुलिस

224 of the Indian Penal Code and shall also be liable for such sentence of imprisonment in India which he would have to undergo if the delivery of custody of such prisoner had not been made under section 8.

Authorised Officer of the State Government
(Not below the rank of a Joint Secretary)

To

Shri/Smt.....

.....(Designation)

Address.....

Copy to

- (i) Joint Secretary (CS), Ministry of Home Affairs, Government of India.
- (ii) Joint Secretary (CPV), Ministry of External Affairs, Government of India.
- (iii) Secretary, Department of Prison
Government of.....(State in which imprisoned)
- (iv) Charged-Affairs, Embassy.....(Name of the
contracting State).
- (v) Mr/Ms. [Name and address of the
Authorised person (official) of the contracting State].

FORM-3

FORM OF WARRANT

(Under rule 5[2])

(under sub-section (2) of section 12 of the
Repatriation of Prisoners Act, 2003)

Mr./Ms. Designation.....
Address (official)....., is hereby
directed to receive the custody of Mr/Ms(Name and
nationality of the prisoner) Address.....
at (as it appears in the better of contracting State)
at..... (Place of receiving of the prisoner outside India by
authorised official) and to hold the prisoner for bringing him to India
from the place of receiving. The custody of the said prisoner shall be
handed over by the receiving officer to the officer-in-charge of.....
(Name and address of the prison) where the prisoner has to serve his/
her remaining part of the sentence in India as per the existing law for
the offence committed by him/her in the contracting State.

थाने को सौंपेगा तथा ऐसे गिरफ्तार किया गया बंदी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी होगा एवं भारत में ऐसे दण्ड के लिये कारावास का दायी होगा जो वह भुगतता यदि ऐसे बंदी को धारा 8 के अधीन नहीं सौंपा जाता।

राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी
(संयुक्त सचिव से नीचे की श्रेणी का नहीं होगा)

सेवामें,

श्री/श्रीमती

..... (पद)

पता

प्रतिलिपि-

- (1) संयुक्त सचिव (सी.एस.) गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- (2) संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार
- (3) सचिव, जेल विभाग सरकार (राज्य जहां कारावासित है)
- (4) चार्ज-डी-अफेयर्स राजदूतावास.....(संविदा राज्य का नाम)
पता (शासकीय)

प्ररूप-3

वारंट का प्ररूप

(देखे नियम 5(2))

[बंदियों के संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

श्री/श्रीमती पद नाम
पता (शासकीय) को
एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे श्री/श्रीमती (बंदी का नाम
एवं राष्ट्रीयता) पता (जैसा कि यह संविदा राज्य के पत्र में अंकित है) को ...
..... (स्थान) जहां बंदी को प्राधिकृत अधिकारी भारत के बाहर प्राप्त करेगा) प्राप्त
करने के स्थान से भारत में लाने के लिये बंदी को पकड़ेगा/रखेगा। उस कथित बंदी की अभिरक्षा,
प्राप्त करने वाले अधिकारी को प्रभारी अधिकारी (कारागार का नाम व स्थान) को सौंपेगा जहां बंदी
अपनी सजा भारत में उस विद्यमान कानून के अन्तर्गत भुगतेगा, जहां उसने संविदा राज्य में अपराध
कारित किया है।

2. In case the prisoner escapes from the custody, the said prisoner may be arrested without warrant by any person who shall without undue delay deliver such prisoner to the officer-in-charge of the nearest police station and the prisoner so arrested shall be liable for committing an offence under section 224 of the Indian Penal Code or the applicable law depending upon the place of escape and shall also be liable to be dealt with in accordance with this warrant.

*Authorised Officer of the State Government
(Not below the rank of a Joint Secretary)*

To

Shri/Smt.....

.....(Designation)

Address.....

Copy to

(i) Joint Secretary (CS), Ministry of Home Affairs, Government of India.

(ii) Joint Secretary (CPV), Ministry of External Affairs, Government of India.

(iii) Secretary, Department of Prison
Government of.....(State in which imprisoned)

(iv) Charged-Affairs, Embassy.....(Name of the
contracting State).
Address (official).....

2. यदि बंदी अभिरक्षा से निकल भागता है तो ऐसे मामले में वह बंदी किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और वह व्यक्ति उस बंदी को निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को बिना किसी अनावश्यक देरी के सौंप देगा और इस प्रकार गिरफ्तार किया गया बंदी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 या निकल भागने के स्थान पर लागू कानून पर निर्भर एक अपराध कारित करने के लिये दायी होगा और इस वारंट के अनुसरण में बरते जाने का भी दायी होगा।

*राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी
(संयुक्त सचिव से नीचे की श्रेणी का न हो)*

सेवामें,

श्री/श्रीमती

(पद)

पता

प्रतिलिपि:

(1) संयुक्त सचिव (सी.एस.) गृह मंत्रालय, भारत सरकार

(2) संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार

(3) सचिव, जेल विभाग

(4) चार्ज-डी-अफेयर्स राजदूतावास(संविदा सरकार का नाम)

पता (शासकीय)